राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739
E-mail: rajssa.cce@gmail.com
फैक्सः– 2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/SIQE/2018–19/ 8067

दिनांक : 30/10/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय – एसआईक्यूई/सीसीई, एबीएल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के क्रम में।
सन्दर्भ – परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 में लिए गये निर्णयों की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर गुणात्मक सुधार 'स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन' (SIQE) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। परियोजना के अन्तर्गत आयोजित/संचालित की जा रही गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं मॉनीटरिंग के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में **परियोजना परिचालन समिति** (Programme Steering Committee) का गठन किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार कार्यवाही करना /करवाना सुनिश्चित करें –

1. **<u>विद्यालय अवलोकन में (SIQE)</u>** –

1.1 जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन के समय एसआईक्यूई प्रक्रिया का विशेष रूप से अवलोकन / मॉनीटरिंग करें।

1.2 अवलोकनकर्ता की भूमिका संबलनकर्ता के रूप में होनी चाहिए। विद्यालय अवलोकन के समय निम्नलिखित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से समीक्षा करें –

- आधार रेखा मूल्यांकन (बेसलाइन)/पदस्थापन के आधार पर समूह निर्धारण।
- समूह के अनुसार पाक्षिक योजना निर्माण एवं योजना की क्रियान्विति एवं समीक्षा की स्थिति।
- शिक्षण–अधिगम सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की स्थिति।
- पोर्टफोलियो, अभ्यास कार्य, चैकलिस्ट, अभिलेख पंजिका के संधारण की स्थिति।
- संस्थाप्रधान द्वारा कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया एवं अभ्यास कार्य के अवलोकन की स्थिति।
- अभिभावक शिक्षक बैठक (PTM) में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को साझा किये जाने की स्थिति।
- गत अवलोकनकर्ता के सुझावों / निर्देशों की पालना की स्थिति।

2. **<u>विद्यालय को Center of Excellence के रूप में विकसित करना</u>** –

2.1 बैठक में महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि, प्रा.शि के द्वारा एक–एक विद्यालय का दायित्व स्वयं लेते हुए विद्यालय को Center of Excellence के रूप में विकसित कर ''एसआईक्यूई प्रमाणित'' करावें।

2.2 एसआईक्यूई सम्बन्धी विडियो कॉन्फ्रेंस में केआरपी, डाइट फैकल्टी, हैड टीचर की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करें।

2.3 विडियो कॉन्फ्रेंस में केआरपी को सौंपी गई जिम्मेदारी को कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं में पूर्ण करावे ताकि कार्यशालाओं की उपयोगिता एवं सफलता को प्रभावी बनाया जा सके।

www.rajteachers.com

3. **<u>एसआईक्यूई सर्टिफिकेशन</u> –**

SIQE सर्टिफिकेशन कार्य को गति प्रदान करने की दृष्टि से जिला स्तर पर गठित 'जिला कोर समिति' में स्वयं के साथ–साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सम्मलित कर विद्यालय का अवलोकन करें।

4. **<u>नव नियुक्त शिक्षकों में SIQE की समझ बनाना</u> –**

नव नियुक्त शिक्षकों में SIQE कार्यक्रम की समझ विकसित करने हेतु संलग्नक–1 में उल्लेखीत बिन्दुओं को शिक्षकों से साझा किया जाना आवश्यक है। अतः डाइट द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षणों में SIQE का सत्र सम्मलित कर संलग्नक–1 पर वर्णित बिन्दुओं पर चर्चा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, द्वितीय

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/SIQE/2018–19/ 8068 **दिनांकः** 30/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
4. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. कार्यालय प्रति।

www.rajteachers.com

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, एसआईक्यूई